शीर्षक VI शिकायत फ़ॉर्म

Seattle
Office for Civil Rights

यदि आपको लगता है कि सिएटल शहर के किसी विभाग या कर्मचारी ने आपके साथ भेदभाव किया है, तो अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए इस फ़ॉर्म का उपयोग करें। संघीय नागरिक अधिकार अधिनियम शीर्षक VI जाति, राष्ट्रीय मूल और रंग के आधार पर शहर-प्रायोजित कार्यक्रमों, सुविधाओं और गतिविधियों तक समान पहुँच सुनिश्चित करता है।

अधिक जानकारी के लिए, शीर्षक VI नागरिक अधिकार अधिनियम पर जाएँ। आप (206) 684-4500, TTY: 7-1-1, पर कॉल करके या ऑनलाइन सिएटल ऑफिस फॉर सिविल राइट्स में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। देरी से बचने के लिए प्रति मुद्दे के लिए केवल एक फॉर्म जमा करें। हम निःशुल्क अनुवाद एवं दुभाषिया सेवाएँ तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए आवास प्रदान करते हैं।

1. संपर्क जानकारी:

प्रथम नाम: ______________________ अंतिम नाम ______________________

फ़ोन:______________________ ईमेल: ______________________

a. जब हम आपसे संपर्क करेंगे तो क्या आपको दुभाषिए की आवश्यकता होगी? ☐ हाँ ☐ नहीं

- यदि उत्तर हाँ है, तो आपको किस भाषा की आवश्यकता है? ______________

b. क्या इस मामले के लिए आपके पास कोई प्रतिनिधि या वकील है?
☐ हाँ ☐ नहीं

- यदि उत्तर हाँ है, तो कृपया उनका नाम और संपर्क जानकारी प्रदान करें:
  नाम: ______________ फ़ोन और/या ईमेल: ______________________

2. आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके साथ अलग व्यवहार किया गया?

☐ मेरी जाति के कारण
☐ मेरी त्वचा के रंग के कारण
☐ इसकी वजह यह है कि मैं कहाँ पैदा हुआ या मैं कौन सी भाषा बोलता हूँ

3. घटना कहाँ और कब घटित हुई?

घटना का पता:____

घटना की तिथि:______________________

4. आपके साथ किसने भेदभाव किया? जितना आप जानते हैं उतना भरें।

प्रथम नाम:______________________ अंतिम नाम ______________________

फ़ोन:______________________ईमेल: ______________________

5. क्या आपने इस घटना की सूचना किसी अन्य सरकारी एजेंसी या अदालत को दी है?

☐ हाँ। यदि हाँ, तो कृपया स्पष्ट करें। ______________________________
☐ नहीं
☐ अनिश्चित हैं

6. सारांश:

कृपया बताएँ कि क्या हुआ था, इसमें कौन शामिल था, आपके साथ किस तरह से अलग व्यवहार किया गया और आपके अनुसार ऐसा क्यों हुआ। यदि आपके पास कोई सहायक दस्तावेज हैं, तो उन्हें संलग्न करें।

____

____

सार्वजनिक प्रकटीकरण: सिएटल नागरिक अधिकार कार्यालय वाशिंगटन राज्य के सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम (RCW अध्याय 42.56) का पालन करने के लिए बाध्य है।इसका मतलब यह है कि अगर कोई अनुरोध करता है तो हमें इस जाँच के रिकॉर्ड जारी करने पड़ सकते हैं। यदि आपके पास सार्वजनिक प्रकटीकरण के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो हमें कॉल करें: (206) 684-4500, TTY: 7-1-1, या ईमेल करें: OCR_PDR@seattle.gov.